

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8


प्रशासन नीति का संग्रह अधिकांक-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कॉम्प कोर्ट) केम्प कोटा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओकरा
 व भू.अ.नि. कोटा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा / नायब
 तहसीलदार गिल्लुण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-सूत्रय अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भोवनिया खेड़ा तहसील रेलमारा व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2017 में खाता संख्या 33 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्य रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्य रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भोवनिया खेड़ा	33	भांगीलाल पुत्र उदाकीर राखिन हिस्सा $\frac{1}{8}$ (पूर्वकाता) SBBJ शाखा राजपुरा द्वीका.	भांगीलाल पुत्र उदाकीर राखिन हिस्सा $\frac{1}{8}$ (पूर्वकाता) SBI शाखा राजपुरा द्वीका


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 434
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्य रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,